संख्याः– /XX(5)/18–25(रा0आ0)/2018

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग–5 देहरादून : दिनांक 06 नवम्बर, 2018

विषयः–उत्तराखण्ड राज्य के शहीद राज्य आन्दोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन सुविधा का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2964/XX(4)-3(26)/2006, दिनांक–13.12.2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शहीद राज्य आन्दोलनकारी की पत्नी अथवा पति को पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट व्यवस्था न होने के कारण असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। चूंकि शहीद की पत्नी ही उनकी प्रथम आश्रित हैं अतः पेंशन पर प्रथम अधिकार पत्नी का ही है।

2– अतः उपरोक्त के दृष्टिगत् मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश, दिनांक–13.12.2011 के प्रस्तर–2 में उल्लिखित " उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि शहीद आन्दोलनकारी के पिता (पिता जीवित न होने पर माता) को भी प्रतिमाह ₹ 3000/–(₹ तीन हजार मात्र) पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जायेगा।" **के स्थान पर** "उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि शहीद आन्दोलनकारी की पत्नी/पति तथा पति/पत्नी के न होने की स्थिति में शहीद आन्दोलनकारी के पिता (पिता जीवित न होने पर माता) को भी प्रतिमाह ₹ 3000/–(₹ तीन हजार मात्र) पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जायेगा।" पढ़ा जाय।

3– उक्त शासनादेश दिनांक–13.12.2011 इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सचिव।

संख्याः– 165 /XX(5)/18–25(रा0आ0)/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पूरन गिरि)
अनु सचिव।

Sushila Negi letter ..2018... Rajy Andolnkari